राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/2020/**72;** दिनांकः 17 सितम्बर 2020

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय (सूचीनुसार),
राजस्थान।

प्रथम समरण पत्र

विषयः राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित/स्ववित्त संसाधन प्रबंधन/जनसहयोग/प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के निःशुल्क सहयोग से विद्यार्थियों के लिये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण आरम्भ करवाये जाने बाबत।

सन्दर्भ : बजट घोषणा 2020 के बिन्दु संख्या 101 की कियान्विति हेतु आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयुपर की ओर से जारी पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/2020/49; दिनांकः 20 अगस्त 2020 के कम में।

लेख है कि बजट घोषणा 2020 के बिन्दु संख्या 101 की कियान्विति में चयनित राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित/स्ववित्त संसाधन प्रबंधन/जनसहयोग/प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के सहयोग से महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण आरम्भ करवाये जाने हैं। इस संबंध में उपर्युक्त पत्रांक संख्या 49 दिनांक 20 अगस्त 2020 के माध्यम से आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयुपर की ओर से एक पत्र जारी कर प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में कई महाविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, वहीं कुछ महाविद्यालयों ने अभी तक प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित नहीं किये हैं। साथ ही कुछ प्रस्ताव अधूरे हैं क्योकि उनमें वित्तीय संसाधन प्रबंधन का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः इस पत्र द्वारा प्रथम चरण में चयनित सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम प्रस्ताव तैयार कर निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि उनके अनितिमिकरण की प्रकिया आरम्भ की जा सके –

1. महाविद्यालय द्वारा चयनित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यकमों के नाम।
2. इनमें अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी संख्या क्या रहेगी ?
3. वित्तीय प्रबंधन का विवरण यथा पाठ्यकम निःशुल्क होगा अथवा विद्यार्थियों से फीस ली जायेगी। यदि निःशुल्क होगा तो वित्तीय प्रबंधन का श्रोत क्या होगा यथा महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा अथवा किसी संस्था द्वारा वित्तपोषित होगा। यदि विद्यार्थियों से फीस ली जानी है तो कितनी।
4. पाठ्यकम का समय एवं अवधि क्या रहेगी ?
5. पाठ्यकम प्रशिक्षण की विधि, यथा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, क्या रहेगी ?
6. पाठ्यकम की रोजगारपरक उपयोगिता क्या हैं ?
7. क्या महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कौशल पाठ्यकम प्रशिक्षण राज्य के अन्य राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये भी उपलब्ध हो सकेगा ?

प्रथम चरण में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया है –

1.	Govt. College Ajmer	2.	Govt. BSR Arts College Alwar
3.	Govt. College Banswara	4.	Govt. College Baran
5.	Govt. College Barmer	6.	Govt. MSJ College Bharatpur
7.	Govt. MLV College Bhilwara	8.	Govt. Dungar College Bikaner
9.	Govt. College Bundi	10.	Govt. College Chittorgarh
11.	Govt. Lohia College Churu	12.	PNKS Govt. College Dausa
13.	Govt. College Dholpur	14.	Govt. College Dungarpur

15.	Govt. College Hanumangarh	16.	Govt. College Jaipur
17.	Govt. College Jaisalmer	18.	Govt. College Jalore
19.	Govt. College Jhalawar	20.	Govt. College Jhunjhunu
21.	Govt. College Jodhpur	22.	Govt. College Karauli
23.	Govt. College Kota	24.	Govt. College Nagaur
25.	Govt. Bangur College Pali	26.	Govt. College Pratapgarh
27.	Govt. College Rajsamand	28.	Govt. College Sawai Madhopur
29.	Govt. College S. Ganganagar	30.	Govt. Science College Sikar
31.	Govt. College Sirohi	32.	Govt. College Tonk
33.	Govt. Meera Girls College Udaipur	34.	Govt. College Kishangarh, Ajmer
35.	Govt. GD Girls College Alwar	36.	Govt. Girls College Baran
37.	Govt. RD Girls College Bharatpur	38.	Govt. College Kotputli
39.	Govt. College Kaladera	40.	Govt. College Sambharlake
41.	Govt. Arts Girls College Kota	42.	Govt. Arts College Kota
43.	Govt. Girls College Sikar	44.	Govt. Girls College S. Ganganagar
45.	Govt. Arts College Sikar	46.	Govt. College Abu Road
47.	Govt. College Balotra	48.	Govt. Girls College Ajmer
49.	Govt. RR College Alwar	50.	Govt. MS College Bikaner

उपर्युक्त चयनित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुरुप **दिनांक 23 सितम्बर 2020** तक अपने प्रस्ताव तैयार करके निदेशालय को कौशल विकास की ई–मेल **skill.cceraj@gmail.com** पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें। शेष निर्देश पूर्व में जारी पत्रांक CCE/ISDC/Skill/2020/49**;** दिनांकः 20 अगस्त 2020 के अनुरुप रहेंगे।

उपर्युक्त चयनित महाविद्यालयों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य महाविद्यालय भी रोजगारोन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम आरम्भ करने में रुचि रखते हैं, तो वे भी अपने कौशल विकास प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं।

महाविद्यालय में गठित नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से इस कार्यक्रम की कियान्वितिकरवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में नवाचार एवं कौशल विकास कार्यकम प्रभारी अधिकारी डा. विनोद कुमार भारद्वाज से उनके मोबाइल नम्बर 9414304650 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

17/09/2020

सन्देश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/2020/73-74 ; दिनांकः 17 सितम्बर 2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जपयुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, महाविद्यालय समूह, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

17/9/2020

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास